INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP00629464672871V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP00629464672871V
Certificate Issued Date	:	29-Aug-2023 01:32 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14287204/ GHAZIPUR SADAR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14287204968433993164 91V
Purchased by	:	BAL GOPAL COLLEGE OF PHARMACY OJHIPUR JAKHANIYA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BAL GOPAL COLLEGE OF PHARMACY OJHIPUR JAKHANIYA
Second Party	:	SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISHAD U P LUCKNOW
Stamp Duty Paid By	:	BAL GOPAL COLLEGE OF PHARMACY OJHIPUR JAKHANIYA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

क्रम सं० 3067
दिनांक 29/08/23

NOTARY
GOVT. OF U.P.

Please write or type below this line

NOTARY
GHAZIPUR (U.P.)

NOTARY
GOVT. OF U.P.

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

(प्रारूप – 'अ')

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूपः–

हम हंसा देवी एवं गोपी सिंह यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव बाल गोपाल ट्रस्ट मधुबन मलिकपुरा गाजीपुर 233310 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा बाल गोपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी ओड़ीपुर मलिकपुरा गाजीपुर 233310 नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ओड़ीपुर मलिकपुरा गाजीपुर 233310 में गाटा संख्या 245 एवं 287 रकबा क्रमशः 0.3200 एव 0.6990 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.821 हेक्टेयर) भूमि है।
2. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
3. यह किए उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या245 एवं 287 रकबा क्रमशः 0.3200 एव 0.6990 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.821 हेक्टेयर) भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20.05.2019 द्वारा पारित किया गया है।
4. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
5. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
6. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
7. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
8. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
9. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
10. यह किए संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
11. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
12. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा

NOTARY
GHAZIPUR (U.P.)
GOVT. OF U.P.

ह० सचिव

हंसा देवी
ह० अध्यक्ष